पत्र संख्या : 7ब/2049 गै०यो०–01/2013/ज०स०......... 86

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः 19-9-13

विषय :– माँग संख्या–13–ब्याज संदाय मुख्य शीर्ष–2049–ब्याज अदायगियाँ–उप मुख्यशीर्ष–60– अन्य दायित्वों पर ब्याज–लघुशीर्ष–701–विविध उपशीर्ष–03–विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय–विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–57–ब्याज विपत्र कोड–13N204960701030757 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु प्राप्त राशि का उप–आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013–2014 में व्यय हेतु **बजट मुख्य शीर्ष 2049**– ब्याज अदायगियाँ–उप मुख्यशीर्ष–60– अन्य दायित्वों पर ब्याज–लघुशीर्ष–701–विविध उपशीर्ष–03–विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय–विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–57–ब्याज विपत्र कोड–13N204960701030757 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में वित्त विभाग के पत्रांक–11/बी० टी०–02/2013–14/323 बजट दिनांक–22.08.2013 से प्राप्त राशि को निम्न रूप में दर्शाये गये निम्नांकित कार्यालय को उप–आवंटित किया जाता है :–

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विवरण	कुल आवंटन (लाख ₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, लोहरदगा	माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के मुकदमा सं० सी०डब्लू०जे०सी० सं०–3497/(R)/1994 बासुदेव बनाम राज्य सरकार मामले में दिनांक–02.05.1995 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में जनित सूद की राशि के भुगतान हेतु।	**1.81083**	

आवंटित राशि – ₹ एक लाख एक्यासी हजार तेरासी मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष 2013–2014 में वित्त विभाग के आवंटन पत्रांक–323 बजट, दिनांक–22.08.2013 द्वारा प्राप्त राशि ₹ 1.81083 लाख (एक लाख एक्यासी हजार तेरासी मात्र) के अन्तर्गत् है।
3. **निकासी व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर एवं नियमानुसार भुगतान कर अनुपालन प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग/वित्त विभाग को अविलम्ब भेजेंगें।**
4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
5. उप–आवंटित राशि का व्यय विधि (न्याय) विभाग द्वारा निर्गत् स्वीकृत्यादेश सं०–सी०/डी०डी०ए०–03/2013–1919/जे० दिनांक–18.07.13 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत् आवंटन में अंकित शर्त्तों के अनुरूप किया जायेगा।
6. राशि की निकासी निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुरेश प्रसाद भगत)	(एम०एस० चौरसिया)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी० सी० निगम)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)	विशेष सचिव

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन/उपआवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से अन्य दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट **(http://www.wrdjharkhand.nic.in)** पर भी उपलब्ध है।

अनु॰– 1. वित्त विभाग का आवंटनादेश
सं॰–323/ दि॰–22.08.13 की प्रति
2. विधि (न्याय) विभाग का पत्रांक–
सी०/डी०डी०ए०–03/2013–1919/
जे० दिनांक–18.07.13

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 86 रॉंची, दिनांक :– 19-9-13

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा/लोहरदगा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰– 1. वित्त विभाग का आवंटनादेश
सं॰–323/ दि॰–22.08.13 की प्रति
2. विधि (न्याय) विभाग का पत्रांक–
सी०/डी०डी०ए०–03/2013–1919/
जे० दिनांक–18.07.13

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 86 रॉंची, दिनांक :– 19-9-13

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/ योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉंची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉंच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद भगत) सहायक अभियंता	(एम०एस० चौरसिया) उप सचिव (अभि॰)	(सुबोध कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि॰)	(बी॰ सी॰ निगम) विशेष सचिव	**(एस० के० शतपथी)** **प्रधान सचिव**

संचिका संख्या -11/बी० टी०-02/2013-14/ 323 /बजट

झारखण्ड सरकार

वित विभाग

रांची, दिनांक: 22/08/2013

प्रेषक,

ए. पी. सिंह,
सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय: माननीय. झारखंड उच्च न्यायालय के मुकदमा संख्या-सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-3497/(R)/1994 बासुदेव बनाम राज्य सरकार मामले मे दिनांक-02.05.1995 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में जनित रूपये 1,81,083/- (एक लाख ईकासी हजार तेरासी) मात्र सूद की राशि भुगतान हेतु आवंटन।

महोदय,

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के मुकदमा संख्या-सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-3497/(R)/1994 बासुदेव बनाम राज्य सरकार मामले में दिनांक-02.05.1995 को पारित न्याय निर्णय एवं विधि(न्याय) विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-सी०/डी०डी०ए०-03/2013-1919/जे० दिनांक 18.07.13 के आलोक में रूपये 1,81,083/- (एक लाख ईकासी हजार तेरासी) मात्र सूद की राशि भुगतान हेतु आवंटन दिया जाता है।

2. आवंटित राशि गैर योजना व्यय (विस्तृत)-मांग संख्या-13-ब्याज संदाय मुख्यशीर्ष-2049-ब्याज अदायगियाँ-उप मुख्यशीर्ष-60-अन्य दायित्वों पर ब्याज-लघुशीर्ष-701-विविध उपशीर्ष-03-विविध न्याय निर्णय के आलोक में ब्याज-विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-57-ब्याज विपत्र कोड-13N204960701030757 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

3. राशि की निकासी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिचाई प्रमंडल, लोहरदगा, झारखण्ड द्वारा ज़िला कोषागार, लोहरदगा से की जाएगी।

4. संबन्धित आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम.4-05/98-2561/वि.(2) दिनांक 17.04.1998 एवं 4-23/2003/1800/वि. दिनांक 15.07.2003 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2013-14 में नहीं किए जाने की स्थिति में दिनांक-20.03.2014 के पूर्व राशि वित्त विभाग को वापस कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन,

22/08/13
(ए. पी. सिंह)
सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

पत्र संख्या–सी0/डी0डी0ए0–03/2013–1919 /जे0

झारखण्ड सरकार
विधि (न्याय) विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, धूर्वा, राँची–834004

प्रेषक,

अमिताभ कुमार गुप्त
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखंड, राँची।

सेवा में

प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
झारखंड, पो0–डोरण्डा, राँची।

राँची, दिनांक– 18 जुलाई, 2013

विषय– माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के मुकदमा संख्या–सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–3497/(R)/1994 बासुदेव बनाम राज्य सरकार मामलें में दिनांक–02.05.1995 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में जनित 1,81,083/– (एक लाख इकासी हजार तेरासी) रूपये मात्र सूद की राशि भुगतान की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत।

2. उक्त राशि की निकासी गैर योजना व्यय (विस्तृत)–माँग संख्या–13–ब्याज संदाय मुख्य शीर्ष–2049–ब्याज अदायगियों–उपमुख्य शीर्ष–60–अन्य दायित्वों पर ब्याज–लघुशीर्ष–701–विविध–उपशीर्ष–03–विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–57–ब्याज विपत्र कोड–13N204960701030757 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013–2014 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिचाई प्रमंडल, लोहरदगा होंगे।

4. राशि की निकासी जिला कोषागार, लोहरदगा से की जाएगी।

5. यह मात्र स्वीकृत्यादेश है।

विश्वासभाजन,

(अमिताभ कुमार गुप्त) 16.7.13
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–सी0/डी0डी0ए0–03/2013–1919 /जे0 राँची, दिनांक–18 जुलाई, 2013

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, झारखंड, राँची/उपायुक्त, लोहरदगा/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिचाई प्रमंडल/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमिताभ कुमार गुप्त) 16.7.13
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची।